रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 706] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 1998/कार्तिक 7, 1920
No. 706] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 1998/KARTIKA 7, 1920

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1998

का०आ० 934(अ).—जीवजन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5 क की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों के नामों को अधिसूचित करती है और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 495(अ) दिनांक 9 जून, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपरोक्त अधिसूचना में क्रमांक संख्या (22) के बाद व उससे संबन्धित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रमांक संख्याएं व प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :—

"(23)	डा. के.बी. लोगानी उप महानिदेशक (एम.) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय निर्माण भवन, नई दिल्ली—110011	धारा 5 (1)(घ) के अधीन नामित
(24)	डा. करतार सिंह धीमन वरिष्ठ व्याख्याता, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पोपरोला—176115 हिमाचल प्रदेश	धारा 5 (1)(घ) के अधीन नामित
(25)	श्री गिरिधर गमांग संसद सदस्य (लोक सभा) 108, वी.पी. हाउस नई दिल्ली-110001	धारा 5 (1) (झ) के अधीन चयनित

(26) श्री आदित्यनाथ — धारा 5 (1)(झ) के अधीन चयनित
संसद सदस्य (लोक सभा)
125, नार्थ एवेन्यू
नई दिल्ली-110001

(27) श्री प्रसन्ना आचार्य — धारा 5 (1)(झ) के अधीन चयनित
संसद सदस्य (लोक सभा)
1104, उड़ीसा भवन
नई दिल्ली

(28) प्रो. सैफुद्दीन सोज — धारा 5 (1)(झ) के अधीन चयनित
संसद सदस्य (लोक सभा)
7, तुगलक रोड,
नई दिल्ली-110011

[फा० सं० 1-15/97-ए.डब्ल्यू]
एम.एस. अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1998

S.O. 934 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby notifies the names of the following persons on the Animal Welfare Board of India and for that purpose makes the following amendment in the notification of the government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 495(E) dated the 9th June, 1998 namely :—

In the said notification after serial number (22) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"(23) Dr. K.B. Lo[illegible]i, — nominated under section 5(1)(d)
Deputy Director General (M),
Directorate General of Health Services,
Nirman Bhavan,
New Delhi-110011.

(24) Dr. Kartar Singh Dhiman, — nominated under section 5(1)(d)
Senior Lecturer,
Government Ayurvedic college,
Poprola-176115
Himachal Pradesh.

(25) Shri Girdhar Gamang, — elected under section 5(1)(i)
Member of Parliament (Lok Sabha),
108, V.P. House,
New Delhi-110001.

(26) Shri Adityanath, — elected under section 5(1)(i)
Member of Parliament (Lok Sabha),
125, North Avenue,
New Delhi-110001.

(27) Shri Prasanna Acharya, — elected under section 5(1)(i)
Member of Parliament (Lok Sabha),
1104, Orissa Bhavan,
New Delhi.

(28) Prof. Saifuddin Soz, — elected under section 5(1)(i)"
Member of Parliament (Lok Sabha),
7, Tuglak Road,
New Delhi-110011.

"

[F. No.1-15/97-A.W.]
M.S. AHMAD Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.